रामगोपाल बनाम उमराव सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दावा क्र.नं. 33/2024	

पत्रावली की आदेशिका पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए हस्ताक्षर अंकित किये। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 05.08.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible].2025 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादीगण ने वादपत्र में पूर्व में प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार हुए विभाजन प्रस्ताव में प्रस्तावित रास्ता का नजरी नक्शा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की। प्रकरण मे वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 12.08.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

12.08.2025 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण मे वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् ने प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में पेश हुए संशोधित राजीनामा दिनांकित 28.07.2025 के अनुसार वादपत्र को डिक्री किये जाने का [illegible] हमने बहस वकुलाय उभय पक्षका[illegible] पर [illegible]। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध द[illegible] किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त [illegible]षि भूमि खसरा नम्बर 1194, 1197 से 1206 कुल किता 11 कुल रकबा 15.41 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:07:24 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दूसरा मु.नं. — 33/2024

खातेदारी वादीगण संख्या 1 लगायत 14 व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के नाम संयुक्त रूप से हिस्सानुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त भूमियों का पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादीगण ने बाहमी बटवारा कर मौके पर अलग–अलग काबिज होकर काश्त करना व मौके पर आबाद होने बाबत अपनी बहस में कथन किया है तथा पक्षकारान ने अपने मध्य हुए बाहमी बटवारा अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमियो की खातेदारी अपने–अपने कब्जा काश्त अनुसार अपने–अपने नाम दर्ज करवाने बाबत न्यायालय हाजा में हाजिर अदालत होकर वादपत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया जाना प्रकट होता है तथा प्रकरण में संशोधित वादपत्र पेश किये जाने के उपरान्त पक्षकारान के द्वारा दिनांक 28.07.2025 को पेश किये गये संशोधित राजीनामा [illegible] जरिये अधिवक्तागण की सहमति के आधार पर तस्दीक किया जा चुका है। पक्षकारान ने अपने द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व दिनांकित 05.08.2025 को प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शा में वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1194, 1197 से 1206 कुल किता 11 कुल रकबा 15.41 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम श्रीमाधोपुर में से भूमि खसरा नम्बर 1198, 1199, 1200 कुल किता 3 कुल रकबा 3.55 हैक्टर में वादी नम्बर 14 को 812 / 1752 हिस्से का, वादी नम्बर 1 लगायत 4 को 1 / 2 हिस्सा का एवं वादी नम्बर 5 को 64 / 1752 हिस्से का एवं भूमि खसरा नम्बर 1202, 1203, 1197 कुल किता 3 कुल रकबा 7.48 हैक्टर का वादीगण नम्बर 6 लगायत 13 को तथा भूमि खसरा नम्बर 1194, 1205, 1206 कुल किता 3 कुल रकबा 3.92 हैक्टर का प्रतिवादीगण [illegible] खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा उक्त भूमि [illegible] रूप से प्रत्येक खातेदार की बंटवारा [illegible] हेतु 12 फुट चौडाई का रास्ता भूमि खसरा नम्बर 1198, 1199, 1200 में से होकर मुख्य रास्ता खसरा नम्बर 1201 में से निकलकर खसरा नम्बर 1200 के पूर्वी सीमा के सहारे होकर खसरा नम्बर 1199 के पूर्वी सीमा के सहारे खसरा नम्बर 1198 के पूर्वी सीमा व दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:07:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

रामगोपाल बनाम उमराव सिंह

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

वाद अन्य - 33/2024

रास्ते को गै0 मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने तथा भूमि खसरा नम्बर 1201 रकबा 0.42 हैक्टर व 1204 रकबा 0.04 हैक्टर की खातेदारी मुताबिक जमाबन्दी यथावत रखे जाने एव भूमि खसरा नम्बर 1198, 1199, 1200 मे प्रस्तावित 12 फुट चौडा रास्ता की किस्म गै0 मु0 रास्ता दर्ज करते हुए खातेदारी वादीगण संख्या 1 लगायत 4, 5 व 14 के नाम रहने बाबत राजीनामा मे अकन किया है एंव इस बाबत वादीगण द्वारा पक्षकारान ने मौके पर प्रस्तावित किये गये रास्ता का नजरी नक्शा भी पेश किया गया है तथा इसी राजीनामा व प्रस्तावित रास्ता का नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रिकार्ड मे बटवारे व रास्ते का अकन करवाने बाबत राजीनामा वादीगण द्वारा न्यायालय मे पेश किया जाना प्रकट होता है। जिससे वकील प्रतिवादीगण ने भी वादपत्र को बरूए राजीनामा व सलग्न प्रस्तावित किये गये रास्ता के नजरी नक्शा अनुसार स्वीकार किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है। वही प्रतिवादी संख्या 8 के अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद गुप्ता एड0 ने भी प्रतिवादी संख्या 8 बैंक का हित सुरक्षित रखते हुए वादपत्र में निर्णय किये जाने हेतु पत्रावली की आदेशिका पर सहमति बतौर अपने हस्ताक्षर अंकित किये है। जिससे भी यह सिद्ध होता है कि वकील प्रतिवादी को भी इस वादपत्र के डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही होना जाहिर होता हैं। इस प्रकार पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य हुए राजीनामा दिनाकित 28.07.2025 व प्रस्तावित किये गये रास्ता का नजरी नक्शा के अनुसार वादपत्र को बरूए राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified

—:: क्रियात्मक आदे[illegible] —

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:07:24 IST
Reason: SelfAttested

अतः ऐसी [illegible] प्रस्तुत वादपत्र बाबत उद्घोषणा, तकारमा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर बरूए राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1194, 1197 से 1206 कुल

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

रामगोपाल बनाम उमराव सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा मु.नं. - 33/2024

कित्ता 11 कुल रकबा 15.41 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम श्रीमाधोपुर में से भूमि खसरा नम्बर 1198, 1199, 1200 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 3.55 हैक्टर में वादी नम्बर 14 को 812/1752 हिस्से का, वादी नम्बर 1 लगायत 4 को 1/2 हिस्सा का एव वादी नम्बर 5 को 64/1752 हिस्से का एव भूमि खसरा नम्बर 1202, 1203, 1197 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 7.48 हैक्टर का वादीगण नम्बर 6 लगायत 13 को तथा भूमि खसरा नम्बर 1194, 1205, 1206 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 3.92 हैक्टर का प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमियों में प्रत्येक खातेदार की बटवारा के अनुसार आये हिस्से में आने–जाने हेतु 12 फुट चौड़ाई का रास्ता भूमि खसरा नम्बर 1198, 1199, 1200 में से होकर मुख्य रास्ता खसरा नम्बर 1201 में से निकलकर खसरा नम्बर 1199, 1200 के पूर्वी सीमा के सहारे – सहारे खसरा नम्बर 1198 के दक्षिणी सींव के सहारे–सहारे रास्ते को गै0 मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा विभाजन प्रस्ताव अनुसार इनकी खातेदारी वादीगण संख्या 1 लगायत 4, 5 व 14 के नाम यथावत रखी जाती है तथा भूमि खसरा नम्बर 1201 रकबा 0.42 हैक्टर व 1204 रकबा 0.04 हैक्टर की खातेदारी मुताबिक जमाबन्दी सभी खातेदारान् के नाम यथावत रखते हुए भूमि खसरा नम्बर 1201 की किस्म गै0 मु0 रास्ता दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावे। पक्षकारान् द्वारा संशोधित राजीनामा दिनांकित 28.07.2025 को एंव वादीगण द्वारा दिनांकित 05.08.2025 को प्रस्तुत रास्ता का नजरी नक्शा को डिक्री का भाग बनाया जाता है। पक्षकारान के ... हो तो उसे सम्बन्धित खातेदारान् के हिस्से पर दर्ज किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जाँच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड नियमानुसार दुरूस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:07:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

राजगोपाल बनाम उमरावसिंह

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की ताले जारी हुए
केस खुला.— 33/2024	

करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की तहसीलदार श्रीमाधोपुर को स्वीकृति दी जाती है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:07:24 IST
Reason: SelfAttested